



POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति - दिनाकं 29-10-2024

1.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर क्रेडिट कार्ड का बकाया जमा न किए जाने का भय दिखाकर धोखाधड़ी/ठगी करने वाला एक शातिर अपराधी गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 16.10.2024 को वादी द्वारा थाना साइबर क्राइम पर तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से वादी से संपर्क किया गया और वादी को बताया गया कि उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड पर 1,09,000 रुपये लिए गए हैं जिसका बकाया जमा नहीं किया जा रहा है। उक्त की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच व सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस प्रकार वादी को भय दिखाकर अभियुक्तों द्वारा स्काई एप डाउनलोड करया गया और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट करके एक करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 29.10.2024 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये डिजिटल अरेस्ट कर 01 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी नरेश पुत्र देशनाम को शती चौक गुड़गांव रिलायंस स्टोर के पास हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण-- विवेचना के क्रम में पाया गया कि पकड़े गए अभियुक्त नरेश के खाते में 92 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा स्वयं के व अन्य लोगों के फर्जी खाते तैयार किए जाते है। फिर लोगों को सीबीआई व मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर भय दिखाकर उनके साथ ठगी करते है। ठगी की धनराशि को अभियुक्त के बैंक खाते व अन्य फर्जी खातों में लिया जाता है जिसके लिए अभियुक्त को 10 प्रतिशत का कमीशन प्राप्त होता है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ सीबीआई अधिकारी व मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर वादी मुकदमा से धोखाधड़ी की गई थी। थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा संबंधित से सामंजस्य स्थापित करते हुए अभियुक्त के बैंक खातो को फ्रीज कराया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

1. नरेश पुत्र देशनाम निवासी बढवाना, थाना झौजूकला चरकारी दादरी भिवानी हरियाणा।

2. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा कॉल सेन्टर के माध्यम से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नौकरी दिलाने के नाम पर तैयार किये गये फर्जी नियुक्त पत्र, बैंक पासबुक, लेन-देन का विवरण, कम्प्यूटर व लैपटॉप बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 29.10.2024 को थाना सेक्टर-58 नोएडा द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से क्रिश्चियन ग्लोबल नेट सर्विसेज प्रा0 लि0 के मैनेजिंग डायरेक्टर पूरन कुमार तिमोथी को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में सेक्टर-57 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर वादी से 2,50,000 रूपये ले लिये गये थे तथा वादी की पुत्री को न तो नौकरी दिलाई गई और न ही पैसा वापस किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना सेक्टर-58 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 435/2024 धारा 318(4), 316(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया था।

विवरण-- जाँच के क्रम में पाया गया कि कनाड़ा व अन्य देशों मे विभिन्न पदो पर नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर तथा फेसबुक व इंस्ट्राग्राम पर ऐड डालकर लोगो को लुभाकर फर्जी ऑफर लेटर बनाकर दे देना व नौकरी लगाने के नाम पैसा हड़पकर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाला एक कॉल सेन्टर क्रिश्चियन ग्लोबल नेट सर्विसेज प्रा0 लि0 चल रहा है। जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर पूरन कुमार तिमोथी है, जो कनाड़ा व विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पासपोर्ट वीजा व अन्य दस्तावेजों के नाम पर दो से तीन लाख रूपये ले लेता था और उन्हे वापस नहीं करता था तथा उन्हें फर्जी नियुक्त पत्र तैयार कर दे देता था। अभियुक्त के ऑफिस से भारी मात्रा में फर्जी नियुक्त पत्र, बैंक पासबुक, लेन-देन का विवरण कम्प्यूटर व लैपटॉप आदि बरामद हुए है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं क्रिश्चियन ग्लोबल नेट सर्विसेज प्रा0 लि0 में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य करता हूँ। मैं यह कंपनी अपने पार्टनर के साथ मिलकर चलाता हूँ। यह कंपनी लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पर्क कर उनको देश-विदेश में भेजने व विदेश में नौकरी दिलाने की सर्विस देने के नाम पर चलाते है। हम विदेश में भेजने व नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से अपने खाते में पैसा डलवा लेते है। हम लोगों से धोखाधडी कर फर्जी तरीके से यह कंपनी चला रहे है। अभियुक्त क्रिश्चियन ग्लोबल नेट सर्विस प्रा0लि0 की आड़ में वरीना ट्रैवल्स के नाम की कंपनी चलाता है। जिससे यह ज्यादातर लोगों से फर्जी तरीके से विदेश भेजने के नाम पर उनका वीजा व पासपोर्ट बनवाने के नाम पर पैसे लेता है। इससे पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि यह अभी तक पचास लाख से ऊपर पैसे ले चुका है, जिन्हे इसने वापस नही किया है। यह अपने स्टाफ को भी दो से तीन महीने में बदल देता था, उन्हे इस बात की जानकारी नही हो पाती थी कि यह किसी की नौकरी नही लगवा रहा है।

अभियुक्त का विवरण--

1. पूरन कुमार तिमोथी पुत्र बच्चू लाल बंगर्वाल निवासी सेक्टर-34, थाना सेक्टर-24 नोएडा मूल पता जाख थाना डांगी टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड उम्र 50 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

- 1. 01 लैपटॉप एचपी कंपनी
- 2. 03 डेस्कटाप कैविनेट
- 3. 02 मोनीटर
- 4. 05 मोबाइल फोन
- 5. 03 चैकबुक
- 6. 02 स्वाईप मशीन
- 7. 04 रसीद बुक
- 8. 04 डब्बी विजिटिंग कार्ड
- 9. 02 पासपोर्ट फोटो कापी
- 10. 02 आधार कार्ड छायाप्रति
- 11. 07 डेटा सीट
- 12. 01 अटेंडेन्स रजिस्टर
- 13. 02 नोटिस पीडित
- 14. 05 फर्जी ज्वाईनिंग लेटर
- 15. 03 आस्ट्रेलिया वर्क वीजा के टर्म एंड कंडीशन
- 16. 06 मुहर
- 17. 01 ड्राईविंग लाईसेंस
- 18. 01 पैनकार्ड
- 19. 01 लੈपटॉप
- 20. 05 आईडी कार्ड
- 21. 01 एटीएम कार्ड एसबीआई बैंक
- 22. 01 क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक

अपराधिक इतिहास का विवरण--

 मु0अ0सं0 435/2024 धारा 318(4), 316(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।